



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2014]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939

No. 2014]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2017

का.आ. 2272(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1192 (अ), तारीख 03 दिसम्बर, 2001 और का.आ. 920(अ), तारीख 28 अगस्त, 2002 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए के 0.000 कि.मी. से 35.000 कि.मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 का 14.000 कि.मी. से 182.000 कि.मी. (नसीराबाद—चित्तौड़गढ़) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसरण में राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 79ए और राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के 0.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) से 90.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (राष्ट्रीय राजमार्ग 79ए के 0.000 कि.मी. से 35.000 कि.मी. विद्यमान चैनेज और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के 15.000 कि.मी. से 69.730 कि.मी.) तक छह लेन में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण पांच के अधीन सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर विकास करने हेतु 09 दिसम्बर, 2016 को प्रस्तुत बोली के लिए मैसर्स किशनगढ़ गुलाबपुरा टोलवे प्रा. लि., 301, बी विंग, यूनिवर्सल बिजनेस पार्क, कमानी ऑयल मिल रोड, चांदीवली, मुम्बई-400072 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया है);—

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण), संशोधन नियम, 2011, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 और बोली की नियम तारीख तक इसमें बाद में किए गए संशोधनों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण एवं रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 93.361 कि.मी. [89.627 कि.मी. सड़क और 373.40 मीटर संरचनाएं सहित (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है), और समकक्ष लम्बाई 3.734 कि.मी. है] (निर्माण अवधि के दौरान) और सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 97.951 कि.मी. (89.117 कि.मी. सड़क और 883.40 मीटर की संरचनाएं) (जिनकी लम्बाई

60 मीटर से अधिक है) और समकक्ष लम्बाई 8.834 कि.मी. है] (6 लेन का पूरा होने के पश्चात्) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार दर संदर्भित किया गया है) चार लेन और उससे अधिक खण्डों के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों से दर शुल्क उद्ग्रहित एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक उक्त शुल्क को उद्ग्रहित और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना बीओटी परियोजना की नियत तारीख से प्रभावी होगी।

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए चार या अधिक लेन वाले रा.रा. सेक्शन हेतु प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भं.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	निर्माण अवधि के दौरान		छह लेन का निर्माण करने के उपरान्त	
	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
अजमेर जिले में खेड़ी (वन्दनवाड़ा) गांव के नजदीक 61.020 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज रा.रा. 79 के 40.750 कि.मी.)	89.627 (373.40 कि.मी. की लम्बाई की उन संरचनाओं को छोड़कर जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है)	बिना किसी वार्षिक बढ़ोतरी के उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	89.117 (883.40 मीटर की लम्बाई की उन संरचनाओं को छोड़कर जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है)	उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (कि.मी.) जिसके लिए शुल्क संदेय है					
		निर्माण अवधि के दौरान			छह लेन निर्माण के पश्चात्		
		सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	अजमेर जिले में खेड़ी (वन्दनवाड़ा) गांव के नजदीक	0.3734 ⁽ⁱⁱ⁾ मीटर	3.734	बिना किसी वार्षिक वृद्धि के उपर्युक्त	0.8834 ⁽ⁱⁱ⁾ मीटर	8.834	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार

61.020 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज रा.रा. 79 के 40.750 कि.मी.)		सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%			दरों का 100%
--	--	--	--	--	--------------

(i) (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	संरचना का नाम	लम्बाई (मीटर)
1.	55.195 कि.मी. पर	अण्डरपास	134.000
2.	83.570 कि.मी. पर	बड़ा पुल	239.400
योग			373.400

(ii) (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	संरचना का नाम	लम्बाई (मीटर)
1.	4.920 कि.मी. पर	प्लाइओवर	90.000
2.	39.520 कि.मी. पर	प्लाइओवर	90.000
3.	55.195 कि.मी. पर	अण्डरपास	134.00
4.	58.170 कि.मी. पर	प्लाइओवर	330.000
5.	83.570 कि.मी. पर	बड़ा पुल	239.400
योग			883.400

3. यदि परियोजना में विलम्ब होता है तो, समापन की निर्धारित तारीख (नियत तारीख से 910 दिन) और समापन की वास्तविक तारीख के बीच की अवधि में हुए विलम्ब के लिए कोई प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा। इस नियम के प्रयोजन के लिए, परियोजना का अनंतिम समापन को परियोजना का पूर्ण समापन नहीं माना जाएगा।

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2017-18 के लिए मासिक पास की दर 245.00 रुपए (दो सौ पैंतालीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपवेशों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमाम्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए ऐसे वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेन्सी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड को उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियम में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
10. उपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क लक और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात् उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से 6 माह की अवधि समाप्त होने तक कोई संशोधन नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं भाराराप्रा / 13013 / 600 / सीओ / 16-17 / जीसी केयूए (0.000 कि.मी. से 90.000 कि.मी.) सेक्शन बी ओ टी]
दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2017

S.O. 2272(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1192 (E) dated 03.12.2001 and S.O. No. 920 (E) dated 28.08.2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 35.000 of National Highway No. 79A and from km 14.000 to km 182.000 of National Highway No.79 (Nasirabad - Chittorgarh) in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Kishangarh Gulabpura Tollway Pvt. Ltd., 301, B-Wing, Universal Business Park, Kamani Oil Mill Road, Chandivali, Mumbai -400072 (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), for the bid submitted on 09.12.2016 for the development of Kishangarh-Gulabpura section from km 0.000 (design chainage) to km 90.000 (design chainage) (existing chainage from km 0.000 to km 35.000 of NH-79A & from km 15.000 to km 69.730 of NH-79) (hereinafter referred to as the “said section”) of the NH-79A & NH-79 in the state of Rajasthan to Six lane through Public Private Partnership under NHDP Phase-V on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2010, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2011, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules 2011, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2013, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2014 and National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015 and its subsequent amendments upto bid due date, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent road length of 93.361 km [including 89.627 km road and 373.40 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 3.734 km] (during construction period) and for total equivalent road length of 97.951 km [including 89.117 km road and 883.40 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 8.834 km] (after completion of six laning) for use of four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) or on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the BOT project.

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza(s) for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	During Construction Period		After Construction of Six Laning	
	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
Km. 61.020 (design chainage) (Existing chainage km 40.750 of NH-79) [near Khedi (Bandanwara) village in Ajmer district)	89.627 (Excluding 373.40 m length of structures having length more than 60 m)	75% of the base rates mentioned in Table-1 above, without any annual increase.	89.117 (Excluding 883.40 m length of structures having length more than 60 m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

S. No.	Location of Toll Plaza (Design Chainage)	Length (in km) for which Fee payable					
		During Construction Period			After Construction of Six-laning		
		Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
1.	Km. 61.020 (design chainage) (Existing chainage km 40.750 of NH-79) [near Khedi (Bandanwara) village in Ajmer district)	0.3734 ⁽ⁱ⁾	3.734	75% of the base rates mentioned in Table-1 above, without any annual increase.	0.8834 ⁽ⁱⁱ⁾	8.834	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

- (i) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure (Design Chainage)	Name of the Structure	Length (m)
1.	At Km 55.195	Underpass	134.000
2.	At Km 83.570	Major Bridge	239.400
		Total	373.400

(ii) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Name of the Structure	Length (m)
1.	At Km 4.920	Flyover	90.000
2.	At Km 39.520	Flyover	90.000
3.	At Km 55.195	Underpass	134.000
4.	At km 58.170	Flyover	330.000
5.	At km 83.570	Major Bridge	239.400
		Total	883.400

3. No user fee shall be levied for the delayed period between the Scheduled date of completion (910 days from the Appointed Date) and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred Forty Five only) for the year 2017-18 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected until a period of 6 (six) months has elapsed from COD.

[F. No. NHAI/13013/600/CO/16-17/GC KUA (km 0.000 to km 90.000) Section BOT]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.